महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – सेतालीसवां संस्करण (माह सितंबर, 2019)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम
3. विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. बदलाव की पहचान बने ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन
5. पंचायतराज व्यवस्था का इतिहास
6. स्वच्छ भारत मिशन गीत
7. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से आई – हिम्मत और सुरक्षा
8. जल संवर्धन की ओर अग्रसर होती मध्यप्रदेश की पंचायतें
9. मजदूर से कारीगर बनने की कहानी, राजो बाई की जुबानी

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार	प्रधान संपादक
श्रीमती गौरी सिंह (IAS) अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,

उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का सेतालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी में आयोजित **''मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम''** को समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''बदलाव की पहचान बने – ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन''** आलेख के माध्यम से श्रीमती शकुन बाई पटेल, मध्यप्रदेश के जिला कटनी की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत चरी की निवासी हैं। वह सरस्वती आजीविका स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष, आजीविका मिशन के ग्राम संगठन ''श्रीराम ग्राम संगठन चरी'' की संचालिका, आजीविका मिशन सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति, बैंक सखी, स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी, क्षेत्र की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरक आदि विभिन्न भूमिकाओं में हैं। जिनकी वजह से ग्राम पंचायत में आये बदलाव की कहानी है, वही **''पंचायतराज व्यवस्था का इतिहास''**, **''स्वच्छ भारत मिशन गीत''** और **''जल संवर्धन की ओर अग्रसर होती मध्यप्रदेश की पंचायतें''** आदि आलेख प्रस्तुत किये गये है। **''मजदूर से कारीगर बनने की कहानी, राजो बाई की जुबानी''** तथा **''प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से आई हिम्मत और सुरक्षा''** पर सफलता की कहानियां को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदया द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 22 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मास्टर रिसोर्स परसन सर्टीफिकेशन प्रोग्राम

दिनांक 08.08.2019 को मध्यप्रदेश भोपाल स्थित जहांनुमा पैलेस में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की दो दिवसीस क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई । उक्त कार्यशाला में माननीय विभागीय मंत्री श्री कमलेश्वर जी पटेल, भारत शासन के सचिव श्री प्रशांत कुमार जी, मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव पदेन विकास आयुक्त श्रीमती गौरी सिंह, संचालक, रोजगार ग्रामीण श्री दिलीप कुमार जी, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर के संचालक, डॉ. संजय कुमार सराफ जी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान हैदराबाद के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 04 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेन्ट) प्रोग्राम संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल, जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 27 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2019 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी जिला सिवनी म.प्र. में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला सिवनी के 19 एवं जिला छिन्दवाड़ा के 21 प्रतिभागी कुल 40 उपस्थित रहे। प्रतिभागियों में पंचायत प्रतिनिधि, एनजीओ के सामाजिक कार्यकर्ता एवं समूह की सीआरपी शामिल हुये।

कार्यक्रम का प्रारम्भ श्री एस.के. सचान, प्राचार्य, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी ने किया। कार्यक्रम में श्री मेहबूब खान, सहायक संचालक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी भी उपस्थित रहे। प्रतिभागियों को श्री एस.के. सचान प्राचार्य ईटीसी सिवनी द्वारा प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण के महत्व पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

श्री मुनीष जैन, प्रोजेक्ट मैनेजर, एन.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. हैदराबाद द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य को स्पष्ट करते हुये एन.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. हैदराबाद को फिल्म प्रतिभागियों को दिखाई गई।

प्रथम दो दिवस में मास्टर रिसोर्स परसन की भूमिका, कैसे तैयारी करें एवं विषय से संबंधित प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के तृतीय एवं चतुर्थ दिवस में श्री गोविन्द्र देसाई, आगा खान

फाउडेशन अहमदाबाद एवं श्री संजय कुमार राजपूत एम.जी.एस.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. जबलपुर द्वारा सभी प्रतिभागियों का असेंसमेन्ट किया गया।

प्रशिक्षण के अंतिम दिवस 30.08.2019 को संचालक, श्री संजय कुमार सराफ एवं श्री सुनीता चौबे, उपसंचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर का क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी का भ्रमण किया गया। संस्थान के परिसर में संचालक महोदय श्री संजय कुमार सराफ एवं श्रीमती सुनीता चौबे उपसंचालक, प्राचार्य, श्री एस.के. सचान द्वारा वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात संचालक महोदय द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास का निरीक्षण किया गया।

सत्र के अंत में संचालक महोदय द्वारा प्रतिभागियों से प्रशिक्षण क्या है? कैसे किया जाना? क्या तैयारी है? विस्तृत चर्चा कर अपना मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्राचार्य महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

संचालक महोदय द्वारा श्री एस.के. सचान, प्राचार्य एवं उनकी टीम के द्वारा इस प्रोग्राम के कुशल सम्पादन सफलतम् प्रयासों एवं उत्कृष्ठ कार्य के लिये पत्र के माध्यम से बधाईया एवं शुभकामनायें व्यक्त की गयी।

सत्र संचालक विनोद सिंह, संकाय सदस्य, ईटीसी सिवनी द्वारा सुचारू रूप से किया गया। प्रशिक्षण को व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने में सभी संकाय सदस्य एवं संस्थान के समस्त कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 22.08.2019 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. महात्मा गांधी नरेगा –

1.1 गौशाला निर्माणः–

1.1.1 जिला द्वारा गौशाला निर्माण कार्य दिनांक 21.08.2019 तक 1000 के लक्ष्य के विरूद्ध 748 निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने की प्रगति प्रतिवेदित की गई। गौशाला परियोजना के कुल 766 निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके है। जिलों द्वारा वीडियों काफ्रेंस के 01 दिन पूर्व गूगलशीट G1 अनिवार्यतः अपडेट की जाए एवं प्रारंभ हुये कार्यो की प्रगति की समीक्षा भी सतत् रूप से की जाए।

1.1.2 छतरपुर जिले द्वारा 34 के लक्ष्य के विरूद्ध 30, दतिया जिले द्वारा 45 के लक्ष्य के विरूद्ध 30, पन्ना जिले द्वारा 29 के लक्ष्य के विरूद्ध 23, जबलपुर द्वारा 45 के विरूद्ध 20 गौशालाओं का कार्य ही हो पाने की जानकारी दी गई। उक्त जिलों सहित लय से कम निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने वाले जिले 30 अगस्त 2019 तक शतप्रतिशत कार्य प्रारंभ कराएं।

1.1.3 गौशाला निर्माण की प्रगति जिला कलेक्टर की साप्ताहिक TL बैठक में मॉनीट्रिंग हेतु आयुक्त, मनरेगा के पत्र क्रमांक 3469/MGNREGS-MP/NR-3/2019, दिनांक 20.08.2019 द्वारा गूगलशीट G4 में प्रगति अद्यतन करें।

1.2. समय पर मजदूरी भुगतान (T+8 की समय सीमा से बाहर) :–

2.1.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न जिलों की प्रगति राज्य के औसत 80 प्रतिशत से कम है–जिला मुरैना, भिण्ड, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, दतिया, धार, सतना, शिवपुरी, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, ग्वालियर, बुरहानपुर, रीवा, श्योपुर, आगरमालवा, गुना, सिवनी, बैतूल, राजगढ़, नीमच, टीकमगढ़, सागर, छिंदवाड़ा एवं बड़वानी। उक्त सभी जिले समय पर मजदूरी भुगतान के प्रतिशत में प्रगति लाएं।

1.3. श्रमिक योजना (Labour Engagement) :–

लेबर बजट के विरूद्ध न्यून प्रगति वाले जिले लेबर नियोजन बढ़ाएं, ताकि माह सितम्बर तक लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत मानव दिवस सृजित किये, जा सके। 40 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिले नरसिंहपुर, पन्ना, अनूपपुर, रायसेन, शहडोल, उमरिया, अलीराजपुर, सागर, विदिशा, जबलपुर, रीवा, बैतूल, गुना, बुरहानपुर, बड़वानी, कटनी, रतलाम, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, दमोह, धार, होशंगाबाद, सतना, हरदा, ग्वालियर एवं खरगौन। सभी जिले निर्धारित लेबर बजट के लक्ष्य को पाने के लिए विशेष प्रयास करें।

1.4. जल शक्ति अभियान :–

4.1 जल शक्ति अभियान हेतु मनरेगा के अंतर्गत भारत सरकार ने नवीन कार्य प्रारंभ करने और प्रचलित कार्यो को पूर्ण करने के लक्ष्य दिए है। जिलेवार लक्ष्यों के संबंध में परियोजना अधिकारी, मनरेगा के पास जानकारी उपलब्ध है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत परियाजना अधिकारी, मनरेगा के समन्वय में इन लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। मनरेगा पोर्टल पर एमआईएस रिपोर्ट क्र. 131 से जल शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रचलित जल संरक्षण कार्यो (Ongoing) की सूची निकालकर ऐसे कार्य, जिनमें सामग्री भुगतान के कारण पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होना रूका हुआ है, उनमें प्रदत्त राशि से सामग्री का भुगतान कर कार्य पूर्णता दर्शाएं। ऐसे कार्य, जिनमें 75 प्रतिशत से

अधिक व्यय हो चुका है, उन्हें भी यथा शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाए।

1.5. अपूर्ण कार्य (वर्ष 2016–17 एवं पूर्व के, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19) एवं पूर्णता प्रमाण पत्र की स्थिति :–

1.5.1 अपूर्ण कार्य की समीक्षा के दौरान वर्ष 2016–17 एवं पूर्व के वर्ष 2017–18, एवं वर्ष 2018–19 एवं पूर्णता प्रमाण पत्र की स्थिति में जिला बालाघाट, सागर, मण्डला, डिण्डौरी एवं सिवनी के अपूर्ण कार्य अधिक हैं।

1.5.2 वर्ष 2016–17 एवं उसके पूर्व के तथा वर्ष 2017–18, एवं वर्ष 2018–19 के एमआईएस रिपोर्ट R6.2 में अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे कार्य किन कारणों से अपूर्ण हैं, इस हेतु कार्य स्थल पर टीम भेजकर परीक्षण करावें एवं सभी साध्य कार्यो की समयावधि निर्धारित कर पूर्ण कराया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराए जावें। सभी जिले ''अपूर्ण कार्य एमआईएस'' में प्रदर्शित विगत वर्षो के अपूर्ण कार्यो की समय–सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराएं।

1.5.3 एमआईएस रिपोर्ट R6.19 में प्रदर्शित अपूर्ण कार्यो में से 100 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले एवं 75 से 100 प्रतिशत तक व्यय वाले कार्य की सूची प्राप्त कर उपयंत्रीवार, कार्यवार मॉनीट्रिंग कर साध्या कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराएं।

1.6. वर्ष 2018–19 वर्ष अंकेक्षणः–

वर्ष 2018–19 के वित्तीय अंकेक्षण हेतु सीए फर्म्स के साथ अनुबंध कर सीए फर्म को दस्तावेज उपलब्ध कराकर अंकेक्षण कार्य शुरू करें। अंकेक्षण कार्य दिनांक 20 सितम्बर तक पूर्ण कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

1.7. ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में चर्चाः–

वीडियों कान्फ्रेंस के दौरान ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में सभी जिलों को प्रावधानों के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया।

2 स्वच्छ भारत मिशनः–

2.1 स्व्छ .1 के शेष सभी शौचालयों को अगस्त माह के अंत तक पूर्ण किया जाए।

2.2 जिलों को शौचालय–वीहीन घरों के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर ग्राम सभा अनुमोदन उपरांत स्वच्छ एमपी पोर्टल पर अपडेट किया जाए।

2.3 जिला सीधी एवं अनूपपुर में स्वच्छाग्रही द्वारा चिन्हित शौचालय विहीन घरों की अपेक्षा जनपद स्तर से चिन्हित किये गए घरों की संख्या अधिक पाई गई, जिसका सत्यापन राज्य स्तरीय दल से कराया जाए।

2.4 ऐसे जिले, जिनमें अनुपयोगी शौचालय शेष हैं, अगस्त माह के अंत तक अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी में परिवर्तित कर एमआईएस में प्रविष्टि करें।

2.5 एलओबी शौचालयों के निर्माण एवं शौचालय मरम्मत के कार्य में पीएमएवाय के डिमॉस्ट्रेटर को संलग्न किये जाने के लिए जिलों को पत्र प्रेषित कराने हेतु राज्य कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया।

2.6 जिला खण्डवा, कटनी, श्योपुर एवं अलीराजपुर में एलओबी के शौचालय निर्माण का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण किया गया, जो सराहनीय है।

3. पंचायतराजः–

पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 के संबंध में समस्त जिले परिसीमन का कार्य पूर्ण कर की गई कार्यवाही से पंचायतराज संचालनालय को अवगत कराएं।

बदलाव की पहचान बने ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन

अनुभव यह बताते हैं कि समाज में सकारात्मक बदलाव की गति धीरे–धीरे होती है और इन बदलावों में प्रेरणास्त्रोत कोई व्यक्ति होता है। हम यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने वाले चैम्पियन के उनके जीवन से जुड़े यर्थाथ को उन्हीं के संस्मरणों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस श्रंखला में अबकी बार हम आपकी पहचान करवा रहे हैं श्रीमती शकुन पटेल से। श्रीमती शकुन बाई पटेल, मध्यप्रदेश के जिला कटनी की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत चरी की रहने वाली हैं। शकुन आज ''सशक्त महिला'' का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई दे रहीं हैं।

स्वच्छता का संकल्प श्रीमती शकुन बाई, ग्राम पंचायत चरी

कक्षा बारहवीं और बी.एस.डब्ल्यू. का पाठ्यक्रम करने वाली श्रीमती शकुन पटेल को अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटी कर्मठ महिला, फोटोकॉपी की दुकान चलानी वाली कुशल व्यवसायी, सरस्वती आजीविका स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष, आजीविका मिशन के ग्राम संगठन ''श्रीराम ग्राम संगठन चरी'' की संचालिका, आजीविका मिशन सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति, बैंक सखी, स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी, क्षेत्र की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरक इत्यादि विभिन्न भूमिकाओं में देखते हैं। वे हम सभी के लिए सशक्त महिला की मिसाल बनी हुई हैं। आईये जानते हैं इन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र में बदलाव लाये हैं, कहानी श्रीमती शकुन पटेल की जुबानी ....

हमारी लड़ाई गरीबी से और हमने गरीबी से दो–दो हाथ करने की ठानी ...

हमारे स्व–सहायता समूह में सभी दीदियां सदस्य गरीबी हालत में जैसे–तैसे अपना गुजारा कर रहीं थीं। हमारा घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं निकल पाता था। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी गरीबी से। हमने गरीबी से दो–दो हाथ करने की ठान ली। सवाल ये था कि गरीबी नाम की समस्या का मुकाबला कैसे किया जाए ? तो इस सवाल का उत्तर हमें मिला समूह के रूप में।

जब बनाया ''सरस्वती आजीविका समूह'' तो गरीबी हुई छू–मन्तर ....

हमने वर्ष 2017 में ''सरस्वती आजीविका समूह'' गठित किया। समूह में रहकर हमने प्रति सप्ताह 10–10 रूपये बचत करना प्रारंभ किया। अभी तक हमारे समूह की प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत बचत रू. 20,600–00 तक की हो गयी है। सदस्यों को रिवाल्विंग फण्ड की राशि रू. 14,000–00 मिली है।

हमारा स्व–सहायता समूह अब आजीविका मिशन के ''ग्राम संगठन'' (व्लेज आर्गनाईजेशन–व्ही. ओ.) और ''संकुल स्तरीय संगठन'' (क्लस्टर लेविल फेडरेशन–सी.एल.एफ.) से भी जुड़ गया है। हमारे

सीएलएफ से हमारे समूह को रू. 1,20,000–00 ऋण प्राप्त हुआ है। इस राशि से समूह के प्रत्येक सदस्य ने अपनी–अपनी व्यक्तिगत आर्थिक व्यवसायिक गतिवधि करना शुरू कर दिया है। हमें कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हेतु ''रूरल सेल्फ एम्पलायमेंट ट्रेनिंग इंन्स्टि्यूट कटनी में जैविक खाद एवं कीटनाशक दवाई बनाने का प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। इसके बाद मैंने जैविक खाद और कीटनाशक दवा और अमृत पानी बनाने का तरीका अपने गांव की दूसरी महिलाओं व किसान भाईयों को सिखाना प्रारंभ किया। हमारे गांव में शौचालय बनाये गये हैं। जिनमें अधिकांश शौचालय दो गढ्ढों वाले हैं। इन गढ्ढों में सोन खाद तैयार कर उस खाद खेती–बाड़ी में उपयोग किया जाता है। इस प्रशिक्षण से हमें सिलाई का काम करने में बहुत सहयोग मिला।

मैंने सीएलएफ की राशि से सेंटरिंग का काम करना प्रारंभ किया। मेरी सेंटरिंग की बहुत मांग रहती है। अब तो मैं अपने गांव के साथ ही साथ आस–पास के गांवों में बने रहे प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण में अपनी सेंटरिंग भेजने लगी हूॅं। इससे मुझे काफी मुनाफा भी हो रहा है। मैंने इसी राशि से फोटोकापी की मशीनें भी लगा ली हूॅं। सिलाई की मशीन लेकर मैंने लेडीस सलवार सूट, कुरता, ब्लाउज तैयार कर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। अब हमें इन गतिविधियों से कम से कम महिने में 10 से 12 रू. का फायदा मिलने लगा है। मैं अब अपने परिवार के साथ खुशी–खुशी अपना काम–धंधा अच्छे से कर रही हूॅं।

मेरे बेटे की पत्नि यानी मेरी बहू ''नीलम पटेल'' भी स्व–सहायता समूह से जुड़ी है। उनके समूह में भी बचत, आंतरिक लेनदेन होता है। नीलम ने अपने समूह के सहयोग से आर्थिक गतिविधि ''कपड़े धोने का पावडर'' बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। वह घर पर ही पावडर बनाती है और पावडर बाजार में बिक जाता है। समूह की साप्ताहिक बैठकों में समूह से जुड़े विषयों पर चर्चा के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नीलम इन कार्यक्रमों में सहभागिता करती है। हमने गांव चरी, दुर्जनपुर, कारीतलाई, कुसमा, हरदुआ, सिंघवार, खरखरी की स्व–सहायता समूह की महिला सदस्यों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेजा था। वे भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त करके आई तो उन्होंने भी अपनी–अपनी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। आजीविका मिशन अन्तर्गत मुझे सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सी.आर.पी) के रूप में चुना गया। सी.आर.पी. के साथ ही साथ मैं बैंक सखी की भूमिका भी निभाती हूॅं।

समूहों को संगठित कर बनाया ''श्रीराम ग्राम संगठन–ग्राम चरी'' ....

हमारे ग्राम पंचायत चरी में 12 समूहों को जोड़क कर आजीविका मिशन के अन्तर्गत ''श्रीराम ग्राम संगठन (व्लेज आर्गनाईजेशन–व्ही.ओ.)'' गठित कर लिया गया है। ग्राम संगठन में मैं (पुस्तक संचालिका) बुक कीपर का कार्य करती हूॅं। ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती निशा पटेल, कोषाध्यक्ष

श्रीमती लक्ष्मी दाहिया है। हमारे ग्राम संगठन में आजीविका मिशन जिला ईकाई कटनी से रू. 10,80,000–00 प्राप्त हुये थे। इस राशि का उपयोग हम लोग स्व–सहायता समूहों को आंतरित लेनदेन करने के लिए प्रदान करते हैं।

सब्जी उत्पादन आदि के लिए राशि समूह से उधार लिये थे। हमारे समूह की सदस्य श्रीमती कैलसिया बाई ने मनिहारी की दुकान खोल ली है। वो अपने घर पर भी मनिहारी का सामान रखतीं हैं और हमारे गांव तथा आस–पास के गांवों में जाकर भी सामान बेचती

जैविक खाद का उपयोग का तरीका सिखाती हुई श्रीमती शकुन बाई, ग्राम पंचायत चरी

ग्राम संगठन से हमारे स्व–सहायता समूह ''सरस्वती आजीविका समूह–ग्राम चरी'' को पहली राशि रू. 1 लाख और फिर जब हम लोगों ने यह राशि जमा करवा दी तो दूसरी बार फिर से रू. 90,000–00 प्राप्त हुये। जिला ईकाई से प्राप्त राशि का उपयोग हमारे ग्राम पंचायत चरी के स्व–सहायता समूह की सदस्य दीदियां अपनी–अपनी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लेती हैं।

हम लोगों ने मुर्गी पालन, किराना दुकान, सेंटरिंग, मनिहारी की दुकान, फोटोकॉपी की दुकान,

हैं। समूह की सदस्य श्रीमती पुनिया बाई ने अपने गांव में ही किराना की दुकान खोल ली है। इससे हमारे समूह की दीदियों को आजीविका के लिए काम मिल गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे काम में हमारे परिवार के सभी सदस्य सहयोग करते हैं।

फिर जुड़ गये ''संकुल स्तरीय संगठन'' (क्लस्टर लेविल फेडरेशन–सी.एल.एफ.) से ...

हम लोगों ने ग्राम चरी में 27, कारीतलाई में 26, कुसमा में 08, खजूरा में 12, सिंधवारा में 6 इस

प्रकार से कुल 79 स्व–सहायता समूह को गठित हो गये हैं। ये सभी समूह अच्छे से चल रहे हैं। समूह के गठन और संचालन में मैं प्रेरक की भूमिका निभा रही हूॅं। हैं। इन समूहों को अब हम लोगों ने ''संकुल स्तरीय संगठन'' (क्लस्टर लेविल फेडरेशन–सी.एल. एफ.) से जोड़ दिया है।

फोटोकॉपी की दकान एवं समह की सदस्यों द्वारा प्लेट बनाने का व्यवसाय

पोषण आहार जागरूकता अभियान के अन्तर्गत हम समूह की दीदियों ने मिल कर रैली निकाली। गांव में निकल कर घरों–घर संपर्क किया। हमने माताओं को समझाया कि अपने–बच्चों को पौष्टिक आहार क्यों देना जरूरी है। पोष्टिक आहार में क्या–क्या भोजन दिया जा सकता है।

अब हमारी लड़ाई थी गंदगी की समस्या से ...

मेरे गांव चरी में बहुत गंदगी रहती थी। हमारे गांव में जहां देखो वहीं कचरा पड़ा रहता था। हमारे गांव के बहुत से लोग खुले में शौच करने जाते थे जिससे गांव की सड़कों और तालाब के किनारे टट्टी पड़ी रहती थी।

मैं स्वच्छता अभियान से वर्ष 2014 से जुड़ी हूॅं और फिर वर्ष 2017 में ''सरस्वती आजीविका स्व–सहायता समूह'' बनाया। हमने अपने समूह में निगरानी समिति बनाई। सप्ताह के अगल दिनों में हमारी निगरानी समिति की महिलाओं की टीम ने लोगों को समझाना शुरू किया कि खुले में शौच नहीं जाना है। निगरानी समिति यह भी देखती कि कौन–कौन खुले में शौच करने जा रहे हैं। जो लोग खुले में शौच करने जाते थे उनके घरों में जाकर हम लोग समझाते थे। इस कार्य में हमें अपने समूह के सदस्यों के साथ ही साथ गांव के लोगों का सहयोग मिलने लगा। इस कार्य में मुझे अपने पति श्री रज्जूलाल पटेल, पुत्र श्री दिनेश और अमरदीप का पूरा सहयोग मिलता है।

हम गांव की महिलाओं के साथ प्रतिदिन प्रातः और संध्याकाल में अपने गांव की फेरी लगाते, फेरी के दौरान स्वच्छता के नारे लगाते और विशिल बजाते हुये लोगों को खुले में शौच नहीं जाने और साफ–सफाई से रहने का संदेश देने लगे। इससे हमारे गांव के लोगों की आदतों में बदलाव आने लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं से हमारी ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों के घर और शौचालय बनने लगे। कुछ लोग अपने घर के शौचालय का उपयोग नहीं करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शौचालय का उपयोग करने के बाद शौचालय की साफ–सफाई नहीं करते थे। हम लोग अब घरों–घर जाकर उनके शौचालय साफ कर देते थे। इससे लोगों में अपने–अपने शौचालय साफ करने का उत्साह बढ़ा और वे शौचालय के साथ ही साथ अपने घर को भी साफ रखने लगे।

हमारे गांव में पानी की कमी थी लोगों को बहाना मिल गया कि पानी ही नहीं तो हम लोग शौचालय कैसे साफ करें ? हम लोगों ने गांव और समूह की सदस्यों के सहयोग से सबमर्सिबल पम्प लगवाया जिससे गांव के लोगों को पानी की सुविधा मिल गई। अब तो सभी लोग अपने अपने शौचालयों का उपयोग करने लगे। अब हमारा गांव स्वच्छ ग्राम बना गया था। हमारी सफलता की गूंज जिला प्रशासन तक भी पहुॅच गई थी। नगरपालिका सीमान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत् ''स्वच्छ सर्वेक्षण 2018'' हेतु प्रतिस्पर्धा में मुझे उत्कृष्ठ कार्य का प्रशस्ति पत्र देकर आयुक्त नगरपालिका निगम–कटनी से सम्मानित किया।

हमारे गांव चरी में साफ–सफाई कार्यो के प्रभावों को देखने के लिए दिनांक 13 नवम्बर 2017 को तत्कालीन कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले जी आये और उन्होंने हम लोगों के स्वच्छता के प्रयासों को सराहा। भ्रमण के दौरान कलेक्टर साहब मेरे घर पर भी आये। वे मेरे परिवार के सदस्यों से मिले। कलेक्टर साहब ने मुझे स्वच्छता, नशामुक्ति के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रेरित किया। मुझे कलेक्टर कटनी द्वारा बिहार राज्य के चंपारण और हरियाणा राज्य के कुरूक्षेत्र में जाकर ''नारी सम्मेलन'' में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सहभाग करने का अवसर मिला और वहां पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी किया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन में मेरे द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ जिला कटनी द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दिनांक 26 जनवरी 2018 को मुझे अपनी ग्राम पंचायत चरी को खुले में शौच से मुक्त करने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत उत्कृष्ठ कार्य कराने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड कलेक्टर कटनी द्वारा दी गई। हमारे जिला कटनी में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत ''स्वच्छता ही सेवा है'' अभियान दिनांक 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2017 की अवधि में चलाया गया। जिसमें मुझे अपनी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) कराने हेतु कलेक्टर कटनी द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। आज हमारी ग्राम पंचायत चरी में हर तरफ साफ–सफाई रहती है। हमारे गांव के लोगों में अपने घर, आंगन, गांव को स्वच्छ रखने की आदत बन गई है।

सार की बात .....

सार की बात तो ये है कि, श्रीमती शकुन बाई ने गरीबी की समस्या से मुकाबला किया। लड़ाई से बड़े गरीबी नाम शत्रु के साथ तो मुकाबला भी कड़ा हुआ। समस्याएं आई तो उनका समाधान भी हुआ। ग्राम पंचायत चरी और आस–पास के कई गांवों में महिलाओं को शकुन दीदी ने संगठित किया। महिलाओं को स्व–सहायता समूहों से, समूहों को ग्राम संगठन से और ग्राम संगठन को संकुल स्तर के संगठन से जोड़ा। क्षेत्र में समूहों की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाई और समूह की बचत राशि, बैंकों एवं आजीविका मिशन के सहयोग से महिला सदस्यों को रोजगार दिलाने में मदद की।

शकुन दीदी ने जहां ओर समूह में महिल शक्ति को बढ़ाया वहीं दूसरी ओर समाज में रचनात्मक कार्यो को ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत, जनपद व जिला पंचायत के सहयोग से क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को दूर करने का अभियान चलाया और अपनी ग्राम पंचायत के साथ ही साथ कई ग्राम पंचायतों को ''खुले से शौच मुक्त'' और पूर्ण स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया।

श्रीमती शकुन बाई पटेल ने एक ही मंत्र दिया है कि, हम संगठन को जैसे ही मजबूत बनाएंगे वैसे ही गरीबी, गंदगी, नशा, कुपोषण आदि की समस्या अपने आप दूर हो जायेंगी। संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, वातावरण बनेगा और लोग अपनी बुरी आदतों में बदलाव कर समाज की मुख्यधारा में अपने–आप जुड़ते जाएंगे।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

पंचायतराज व्यवस्था का इतिहास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए भारत शासन द्वारा सामुदायिक विकासखंड 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्यः– अधिकतम ग्रामीण लोगों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना था बंजर तथा अनुपयोगी भूमि को उपजाऊ कृशि योग्य बनाना, कृशको, कर्मचारियों को प्रि क्षण देना, शिक्षा प्रबंध, लोक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना।

दिसम्बर 1957 – बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया समिति में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता का मुख्य कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बताया गया। समिति का मत था कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण करना अति आवश्यक है तथा विकास संबंधी कार्यो को इन संस्थाओ को प्रदत्त कर देना चाहिए। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थाओ की श्रेणीबद्व संस्तुति की। जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी।

जनवरी 1959 – राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) ने पंचायत राज की स्थापना का अनुमोदन किया साथ ही यह सुझाव भी दिया की प्रत्येक राज्य को ऐसी पंचायत राज व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए।

1959 – 2 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायत राज को शुरू किया। इसी दिन आंध्रप्रदेश में भी पंचायत राज का प्रारंभ हुआ इसके पश्चात् शनैः–शनैः अन्य राज्यों में भी पंचायत राज प्रारंभ किया गया।

1959 से 1969 – 1969 के बाद लगभग एक दशक तक पंचायत राज की प्रगति हेतु भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये किन्तु इसके पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए जो प्रारम्भिक उत्साह था, उसमें कमी आई इसी प्रकार अन्य राज्यों के उत्साह में भी काफी कमी आती गई।

1965–1969 – तक इस काल के दौरान ठहराव का चरण आया हस्तांतरित योजनाओं ओर कार्यक्रमों के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया गया।

1969–1977 – यद्यपि पंचायत राज संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण ढांचा अस्तित्व में लाया गया किन्तु व्यवहार में इसकी प्रभावशीलता सीमित रही। अंततः ये संस्थाऐं–सेवाऐं मरणासन्न हो गई इस प्रकार सन् 1969 से 1977 तक का काल पंचायत राज संस्थाओं के लिए पतन का काल रहा।

1977 – अशोक मेहता समिति वर्श 1977 में शासन केन्द्र से पंचायत राज संस्थाओं को विकेन्द्रित करने की इच्छुक थी फलस्वरूप उसमें पंचायत राज संस्थाओं को पुर्नजीवित करने के लिए सुझाव देने हेतु दिसम्बर 1977

में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति की सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था की पंचायत राज की द्विस्तरीय पद्धति का निर्माण किया जाये। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के आकार एवं स्थायित्व के निमित्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकृति की अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की।

1980 – अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को स्वीकार नहीं थी केन्द्र में नई सरकार आ चुकी थी। यद्यपि प्रभावी विकेन्द्रीकरण के महत्व को इसने भी स्वीकारा ओर समर्थन देते हुए ग्रामीण स्थानीय सरकार के पुर्नगठन के तरीके को सुझाने के लिए कार्य किए।

1985 – में जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया राव समिति की रिपोर्ट में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसिक योजना की सिफारिश की गई। इस योजना में जिला स्तर का विकास केन्द्रीय महत्व को बताया।

1986 – वर्ष 1986 में एम.एल. सिंघवी समिति की रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेरणा से प्रस्तुत की गई सिंघवी समिति से ग्राम सभा को पुनः जीवित किया है इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अवतार की संज्ञा दी गई है वस्तुतः मेहता समिति और अन्य समिति की सिफारिशे कागजी बन कर रह गई गुजरात महाराश्ट, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से नहीं कराये गये।

पंचायत राज का अग्रणी प्रदेश राजस्थान में पंचायत राज को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए।

1989 – इन्ही दिशाओं में सकारात्मक प्रयास स्व. राजीव गांधी जी ने 1989 में किया ओर 64 वां सविधान संशोधन संसद में लाये परन्तु यह विधेयक पारित नही हो सका।

1992 – दिसम्बर 1992 में श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार विधेयक सं ाोधित कर दिसम्बर माह में संसद में पारित करवा लिया।

73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत है इसमें अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए है, जो 15 उप अनुच्छेदों में दर्शाये गये है।

इस प्रकार हमारे देश में पंचायत राज को कानूनी अधिकार मिल चुका है।

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

स्वच्छ भारत मिशन गीत

बहुत भली लगती है मुझको
मन में साफ सफाई
यह इक अच्छी बात समझ में
बड़े दिनों में आई..........
यह एक अच्छी बात........
घर आंगन अब रोज बुहारूँ
मैं खुद अपना भाग्य सवारूँ
समझो दीदी समझो दद्दा
सारे लोग लुगाई...............
यह एक अच्छी बात........
घर पर शौचालय बनवाया
व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ पढ़ाया
अब ना बीमारी में लगते है
मेरे रूपय्या भाई............
यह एक अच्छी बात........
गंदगी का अब नाम नहीं है
यंत्र तंत्र अपशिष्ट नहीं है
लड़के के भावी ससुरे ने
अब हामी भिजवायी............
यह एक अच्छी बात........
पहले बड़ी शरम आती थी
चिन्ता सी खाए जाती थी
घर आदर्श बनाकर मैंने
सबसे इज्जत पाई............
यह एक अच्छी बात........
मन में बस अब चाह यही है
सबको मेरी सलाह यही है
कर देखो जो बाते मैंने
अपने गीत में गाई ....
यह एक अच्छी बात........
दीदी आना, भैय्या आना
गली मोहल्ला गीत ये गाना
घर–आँगन ओर आस–पास
चहुँ और हो साफ–सफाई.........
यह एक अच्छी बात........

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से आई – हिम्मत और सुरक्षा

बैतूल जिले के जनपद पंचायत मुलताई के ग्राम पंचायत बानूर के ग्राम उमनपेठ की हितग्राही श्रीमती माला साबले उम्र 48 वर्ष कृषि मजदूर है, उनके पास न तो स्वयं का घर है और ना ही भूमि है। माला साबले के पति उनके साथ नहीं रहते हैं वे बताती हैं कि उनके पति शराब बहुत अधिक पीते हैं तथा मन्द बुद्धि के हैं। पागलपन एवं नशाखोरी के कारण उनके द्वारा कई बार झगड़ा एवं मारपीट की जाती थी। जिससे परेशान होकर मैंने मायके में आकर अपने माता–पिता के साथ के घर समीप एक कच्ची झोपड़ी लकड़ी से बनाई तथा छत पर पन्नी डालकर उसे घास–फूस से ढककर रहने मात्र बनाया और उसमें हम रहने लगे, तब मेरा पुत्र (आशीष) 3 वर्ष का तथा मेरी पुत्री (निकिता) 1.5 वर्ष की थी।

माला साबले के मायके में भी खेती नहीं है वे 7 बहनें हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब है। माला ने दूसरे के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। आमदनी का कोई साधन नहीं था। बच्चे बहुत ही छोटे थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। पड़ोसियों को भी बोल के जाती थी, कि मेरे बच्चों को देखना, मैं जल्दी आ जाउंगी तथा खेत में भी मैं अपना काम जल्दी निपटा कर कभी दोपहर में समय निकाल कर अपने बच्चों को देखकर फिर से खेत में मजदूरी करने चली जाती थी। खेतों में मजदूरी भी हर समय नहीं मिलती थी। कई बार घर में खाना नहीं होने से एक टाईम ही खाना खाकर भूखा सोना पड़ता था। कभी–कभी ग्राम/मोहल्ले वाले कुछ खाने को, कभी कपड़े देते थे, उससे मैं अपने बच्चे को खिला देती थी, तथा स्वयं भूखी सो जाती थी। दिनभर कार्य करने के बाद मजदूरी मात्र 50 रूपये प्राप्त होती थी, जिससे घर चलाना बहुत ही मुश्किल था।

8 वर्ष मायके की जमीन पर रहते–रहते जमीन के लिये झगड़े होने लगे और मुझे मायके वालों ने घर से फिर बेघर कर दिया। मैं और मेरे दोनों बच्चे बाबू छोटे के मकान में रहने लगे। क्योंकि वे इंदौर में रहते थे, उन्होंने कहा कि हमारे घर की सुरक्षा हो जायेगी तथा घर भी साफ–सुथरा रहेगा। हम वहां 05 वर्ष रहे, घर बहुत जर्जर था, दिवारें कच्ची होने से एक दिन दीवार गिर गई। ग्राम वालों ने कहा कि यह घर कभी भी गिर सकता है रात में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तुम मर भी सकते हो, इसलिये ये घर में रहना सुरक्षित नहीं है, तत्पश्चात् मेरे द्वारा रायमुनिया की झाड़ी से झोपड़ी बनाई गई तथा पन्नी डालकर छत तैयार की गई। एक वर्ष तक हम उस झोपड़ी में रहे। एक दिन गर्मी के मौसम में तेज हवांए चलने से वह झोपड़ी पूरी नीचे गिर गई, हम फिर बेघर हो गये। जिन्दगी जैसी मेरी परीक्षा ले रही थी। न तो सुरक्षा थी न तो घर में खाना था, न सिर पे छत थी, और न ही कोई आमदनी थी। जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। फिर से मैं अपने मायके में जाकर रहने लगी। मैंने सरपंच से कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं हैं। मेरी मदद् करो। एक वर्ष बाद मुझे ग्राम पंचायत से आवासीय पट्टा प्रदान किया। जिस पर एक वर्ष बाद ही मुझे प्रधानमंत्री आवास (2 रूम कच्चा) स्वीकृत किया गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके, मैं अपना मकान बना लूं। मैंने मिस्त्री से बात की और वो 35,000/– रूपये में मकान बनाने को तैयार हो गया। हमने गड्ढे खोदना चालू ही किया था कि जिला पंचायत बैतूल की परियोजना अधिकारी डॉ. नीता पाल, द्वारा मुझे बताया गया कि आपके घर पर मजदूरी शासन देगी। मिस्त्री की मजदूरी आपको नहीं देना पड़ेगा और निःशुल्क रूप में मिस्त्री की सेवाएं दी जावेगी एवं आपका घर एक आदर्श घर (मॉडल हाउस) बनाया जायेगा। आपके घर को डेमोस्ट्रेटर के माध्यम से प्रशिक्षण में 45 दिवस में तैयार किया जावेगा। मैनें खुशी–खुशी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं और मेरे बच्चों हम मजदूरी कर लेगें तो मजदूरी की राशि भी बच जायेगी तथा बाहर से मजदूर भी नहीं लाना पड़ेगा। कुल 45 दिवस में मेरा स्वयं का मकान बनकर तैयार हो गया, चूंकि एक कमरे में गुजर–बसर करना मुश्किल था इसलिये मैंने दो कमरे बनाये और इसके लिये मेरे रिश्तेदार एवं बहन द्वारा कुछ पैसों की मद्द की गई हैं। मैनें अपनी बहनों से रू. 30,000/– तथा भाई से रू. 30,000/– तथा मेरे द्वारा थोड़ी–थोड़ी बचत कर रू. 20,000/– इस प्रकार कुल रू. 90,000/– मेरे द्वारा लगाकर घर को व्यवस्थित एवं थोड़ा बड़ा बनाया गया है। अब बस यही चिंता है कि 70,000/– रूपये जो मेरे द्वारा उधार लिया गया है, उसे मुझे चिन्ता से जल्दी–जल्दी चुकाना है। मुझे उज्जवला से गैस चूल्हा, स्वच्छ भारत से शौचालय का भी लाभ मिला है। अब घर काला नहीं होता है, और न ही खाना बनाने में समय लगता है।

घर बनने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आ गई है, कि अब मैं अपनी बेटी की शादी कर सकती हूँ। बेटा भी राजमिस्त्री का कार्य सीख रहा है। अब लगता है, मेरा अपना घर होने से अब कोई मुझे घर से निकाल नहीं सकता। मैं और मेरी बेटी अब सुरक्षित माहौल में रहते हैं। घर बनने से समाज में इज्जत बढ़ गई है। पूर्व में किसी से 100 रूपये उधार मांगती थी तो नहीं देते थे, किन्तु अब लोग विश्वास कर उधार भी देते हैं। बेटी की शादी के लिये अच्छे रिश्ते भी ढूंढ सकती हूँ। माला साबले के आवास में विशेष बात ये रही थी, कि इनके आवास में महिला राजमिस्त्री को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। जिसमें किरन वाडेकर, सुनिता पाटिल तथा शारदा खातरकर रानी मिस्त्री के रूप में तैयार हुई। वे कहतीं हैं कि रानी मिस्त्री बन कर अब हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। रोजगार के साथ हमने उन मान्यताओं को भी तोड़ा है जिन पर कभी मात्र पुरूषों का एकाधिकार था।

सी.के. चौबे
संकाय सदस्य

जल संवर्धन की ओर अग्रसर होती मध्यप्रदेश की पंचायतें

''जल ही जीवन है'' उद्देश्य को लेकर हमारे प्रदेश की ग्राम पंचायते जागरुक हो रही है इसी का एक उदाहरण है मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत पडुआ के अंतर्गत ग्राम पडुआ प.ह.न. 21 ख. नं. 144/1 रकवा, 1.96 हेक्टयर ख. नं. 167 रकवा 2.13 हेक्टयर भूमि स्थित है, जो कि शासकीय नजूल निस्तारी तालाब है, इसका उपयोग कुछ ग्रामवासी निस्तार के पानी के रुप में एवं मवेशियों को पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता रहा है, परन्तु पूर्व में ग्राम के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियो द्वारा उक्त दोनों तालाब में कब्जा कर लिया गया था। जिसके कारण इन तालाबों का उपयोग समस्त ग्रामीणजन उपयोग नही कर पा रहे थे। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा के माध्यम से तालाबों को कब्जा मुक्त कर गहरीकरण का प्रस्ताव पारित किया जाये। जिसमें श्रीमती हर्षिका सिंह तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं श्री मनोज सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सहयोग एवं मार्गदर्शन में तालाब संबंधी विवादों को सुलझाते हुये कब्जा मुक्त करने में सहयोग किया। इसके उपरांत ग्राम पंचायत के किसान व आस पास के गांव के किसानों से चर्चा कर भरेल जमीन को समतलीकरण करने हेतु स्वंय के व्यय से तालाब गहरीकरण का कार्य करने हेतु ग्राम पंचायत सरपंच श्री शिव पटैल द्वारा प्रेरित किया गया एवं इस कार्य को ग्राम के किसानों द्वारा एक संकल्प के रुप में लिया गया। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अनेक जागरुकता कार्यक्रम बैठकों का आयोजन कर जल की उपयोगिता एवं संरक्षण पर ग्रामीण जनों को जानकारी प्रदान की गई।

वर्तमान समय में इस तालाब से आसपास के 15 ग्रामों में भू–जल स्तर बढ रहा है। कृषि कार्य में सिंचाई हेतु ग्राम के 25 किसान इस तालाब से डीजल पम्प के माध्यम से लगभग 60 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। तदोपरान्त् माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के जल संरक्षण के पत्र से अति उत्सहित होकर तालाब गहरीकरण के कार्य में गति दी गई दिनांक 20.06.2019 को सामूहिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम के दौरान गहरीकरण का कार्य संपन्न हुआ। परिणामस्वरुप उक्त गहरीकरण से ग्रामवासियों को निस्तारी जल, भूमिगत जल में वृद्धि मवेशियों को पीने योग्य पानी प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत सरपंच श्री शिव पटैल उक्त दोनों तालाबों को ग्राम के ही महिला स्वसहायता समूह को आत्मनिर्भर व अतिरिक्त आय के लिए लीज में देने हेतु प्रस्तावित भी किया गया है।

पंकज राय,
संकाय सदस्य

मजदूर से कारीगर बनने की कहानी, राजो बाई की जुबानी
प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संयुक्त पहल

मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के विकासखण्ड अमरपुर मे स्थित है ग्राम झिलमिला, ग्राम पंचायत मुख्यालय झिलमिला मे लगभग 105 परिवार निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति और पिछड़ावर्ग बहुलता वाले इस ग्राम की निवासियों की आजीविका मुख्य रुप से परम्परागत कृशि आधारित है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत इस ग्राम मे 05 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है और राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्राम मे 2015 मे प्रवेश किया और परिवारों की आजीविका बेहतर करने हेतु संगठित प्रयास के रुप मे चक्रीय कोश उपलब्ध कराया।

स्वसहायता समूहों मे से एक है **''गरीब स्वसहायता समूह''**। समूह के नाम से ही स्पश्ट है कि 10 सदस्याओं वाले इस समूह मे सभी सदस्याएं गरीबी से संघर्श करने और उससे बाहर निकलने के संकल्प के साथ एकजुट हुईं थीं। आजीविका मि ान ने राह दिखाई सभी दीदियों ने छोटी–छोटी बचत प्रारम्भ की आपसी लेनदेन, बैंक साख से प्राप्त ऋण आदि से और दीदियां बेहतरी की राह बढ़ चलीं।

यूं तो दीदियों के संगठित प्रयासों से सभी दीदियों ने किराना दुकान, दुग्ध उत्पादन, मनिहारी दुकान, बकरीपालन आदि छोटी छोटी गतिविधियां प्रारम्भ की और अपनी आजीविका बेहतर बनाने लगीं लेकिन समूह की एक सदस्या श्रीमती राजो बाई को एक कसक थी कि अन्य दीदियों की तरह उसके पास रहने लायक घर नहीं है वर्शाकाल मे सर छुपाने के लिए भी जद्दो जहद करनी पड़ती थी लेकिन घर बनाने लायक आय संभव नही हो पा रही थी ऐसे मे जैसे उसके सपने को सच किया **''प्रधानमंत्री आवास योजना''** ने। सत्र 2018–19 में ऐसे ही समूह की एक बैठक के दौरान ग्राम के सचिव ने जानकारी दी कि श्रीमती राजो बाई के परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची मे आ गया है। यह खबर सूनते ही राजो बाई की आंखों मे जैसे चमक आ गई उसे अपने सालों साल से पलते सपने पूरे होने की आस जग पड़ी।

प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जब आवास बनाने का अवसर आया ऐसे मे दीदियों की खु ाी द्विगुणित करते हुए आजीविका मि ान और प्रधानमंत्री आवास योजना की संयुक्त टीम ने खबर सुनाई कि समूह की दीदियां श्रीमती राजो बाई का आवास स्वयं बनाएंगी और मजदूरी की जगह राजमिस्त्री (जिसे ग्रामीण भाशा मे कारीगर कहते हैं) का काम करेंगी। पहले तो समूह की दीदियों को अपने कानो मे भरोसा नही हुआ क्योंकि सालों साल से वह ग्राम मे मजदूरी का काम करतीं आ रहीं हैं लेकिन कारीगरी तो पुरुश ही करते हैं। आजीविका मि ान के विकासखण्ड प्रबंधक राजे ा पाण्डेय एवं अन्य कार्य कर्ताओं ने जब बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना मे महिला राजमिस्त्री का प्रि ाक्षण दिया जाएगा और प्रि ाक्षण के दौरान ही श्रीमती राजो बाई का आवास निर्मित किया जाएगा। प्रि ाक्षण 60 दिवस के अन्तराल मे 45 दिवस का

क्या है महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना

आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक श्याम गौतम ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रीमती गौरी सिंह के दिशा निर्देश मे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से स्वसहायता समूहों की ऐसी सदस्याओं को जो निर्माण कार्यो मे मजदूरी का कार्य करतीं है उन्हें राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देकर उनके कौशल और पारिश्रमिक को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण 60 दिवस के अन्तराल मे 45 दिवस का होता है जिसमे किसी हितग्राही के आवास को चिन्हित करके स्थल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि मे 266 रु. प्रतिदिन का मानदेय भी दिया जाता है। डिंडौरी जिले मे 600 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया है जिनमें से 280 महिलाओं को चिन्हिल करके प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

होगा जिसमे दीदियों को प्रतिदिन 266 रु. का मानदेय भी दिया जाएगा।

इस जानकारी ने तो जैसे दीदियों के अरमानों मे पंख लगा दिए एक तो समूह की सबसे जरुरतमंद राजो बाई को घर मिलने की खुशी और दूसरा मजदूर से कारीगर बनने की सफलता ने सबकी खुशियों को द्विगुणित कर दिया। इस प्रकार ग्राम झिलमिला मे शुरु हुई परम्परा बदल कर नई इबारत लिखने की दास्तान और समूह की छः दीदियों ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मास्टर ट्रेनर अजय सिंह मरावी के मार्गदर्शन मे प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। शुरुआती समय मे महिलाओं को लोहा काटते, शटरिंग बांधते, बार बैंडिंग करते और चुनाई करते कुछ झिझक हुई आम लोगों ने भी दबी जुबान से हंसी उड़ाई लेकिन जैसे जैसे राजो बाई के आवास मे ईंट दर ईंट दीवारें ऊंची होतीं गईं वैसे वैसे ऊंचा होता गया दीदियों का आत्मवि वास और आत्मसम्मान।

आखिरकार 60–65 दिन मे जब श्रीमती राजो बाई का आवास बनकर पूरा हुआ तो न केवल राजो बाई को अपने सपनों को आशियाना मिल गया बल्कि परम्पराओं का मिथक तोड़ते हुए महिलाओं ने राजमिस्त्री बनके न केवल अपनी आजीविका को दुगना किया न केवल सम्मान को बढ़ाया बल्कि एक नए युग की भाुरुआत की।

कहतें है कि ''सपने उनके ही सच होते हैं जिनके कदमों मे जान होती है। पंखों से कुछ नही होता हौसलों से उड़ान होती है।

श्याम गौतम,
जिला परियोजना प्रबंधक,
म.प्र. राज्य आजीविका मिशन,
जिला डिण्डौरी